



सप्तदश
बिहार विधान सभा

एकादश सत्र
तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 08 फाल्गुन, 1945 (श०)
27 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 146

(1)	शिक्षा विभाग	88
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	10
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	07
(4)	समाज कल्याण विभाग	12
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	04
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	01
(7)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निर्बंधन विभाग	01
(8)	परिवहन विभाग	06
(9)	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	01
(10)	खेल विभाग	16

जीर्णोद्धार कराना

*927. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के परैया प्रखंड के सोलरा पंचायत के ग्राम-रामनगर काष्ठा में वर्ष 1979 में बिरजू विश्वकर्मा उच्च विद्यालय की स्थापना की गई है, जो अनुदानित विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में कुल 11 कमरे पूर्व से निर्मित है, जिसमें 4 कमरे विगत 5 वर्ष पूर्व से क्षतिग्रस्त है तथा एक ही शौचालय है एवं चहारदीवारी भी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में क्षतिग्रस्त कमरों का जीर्णोद्धार के अलावे चहारदीवारी एवं छात्र के लिये अलग शौचालय का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*928. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण में प्राथमिक विद्यालय 1340, मध्य विद्यालय 294, उच्च विद्यालय 69 तथा डिग्री कॉलेज 3 है तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र सिर्फ एक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण में 303 पंचायत है, जिसमें मात्र 109 पंचायतों में ही विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे हुये पंचायतों में विद्यालय भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों का भवन निर्माण

*929. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "भवनहीन स्कूल में जमीन पर बैठ योगदान कर रही नव चर्यानिष्ठ शिक्षिका की तस्वीर वायरल" को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखंड के सूर्यपुर एवं राजघाट गोबरही स्कूल के भवनहीन विद्यालय में पहुँचकर बी०पी०एस०सी० से चयनित शिक्षक योगदान दिये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोबरही, पंचायत सूर्यपुर एवं बैजूआ के अधिकांश विद्यालयों में संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षकों एवं छात्रों को बैठने के लिये कुर्सी व बेंच नहीं है और गंडक दियारा के सूर्यपुर एवं बैजूआ पंचायत की सभी विद्यालय कागजों में संचालित होते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में भवन बनवाकर संसाधनों की कमी दूर करते हुये विद्यालय संचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन की मरम्मती

*930. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत लखनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित घसिया घाट प्राथमिक विद्यालय, घसियाघाट का भवन जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन की मरम्मती के साथ अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*931. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुदुम्बा (अ0जा10))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुदुम्बा विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड नबीनगर के विभिन्न गाँवों यथा हरिहरपुर, बेलगोरया एवं सिकरीयारतन में नवसृजित विद्यालय स्वीकृत होने के बावजूद अबतक अपना भवन नहीं बन पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का अपना भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*932. श्री मकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महआ)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री खेल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण कराने की योजना होने के बावजूद वैशाली जिलान्तर्गत महआ एवं चेहराकला प्रखंडों में अभीतक स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑगनबाड़ी केन्द्र खोलना

*933. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 जून, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "केन्द्र से नहीं मिल रही 18 हजार नये ऑगनबाड़ी केन्द्रों की मंजूरी" के आलोक में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 18 हजार नये ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से नहीं मिलने के कारण नये केन्द्र नहीं खुल रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्रों की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लगभग 72 लाख बच्चे पोषहार से वंचित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बच्चों के हित में राज्य योजना से उक्त केन्द्रों को खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 5623, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 एवं पत्रांक 5784, दिनांक 18 सितम्बर, 2019 द्वारा बिहार राज्य में कुल 18380 अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O.No. 14/2/2021-CD, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है ।

रिक्त वार्डों को नजदीकी वार्ड के ऑगनबाड़ी केन्द्र से टैग कर वहाँ के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है ।

पुनर् आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के पत्रांक 1239, दिनांक 19 फरवरी, 2024 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ।

राजकीय महोत्सव मनाना

'ख'-*934. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के पंचायत, पथर उत्तर अन्तर्गत ग्राम-जोलहनीयों के कैलाशपुरी शिव मंदिर एवं माँ विषहरा मंदिर प्रांगण में सन् 1902 से पूर्व से ही 10 दिवसीय पूसी पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूसी पूर्णिमा मेला कैलाशपुरी को राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ख'-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित ।

भवन निर्माण कराना

*935. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मिल्की, मध्य विद्यालय, डीहा एवं मध्य विद्यालय, विमान का भवन जर्जर रहने के कारण बच्चों एवं शिक्षकों में भय बना रहता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त विद्यालयों का छात्र हित में भवन निर्माण कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति को सुविधा देना

*936. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के प्राणपुर एवं आजमनगर प्रखंड में 20,000 (बीस) हजार से अधिक की आबादी में नगेसिया समुदाय के लोग जीवन-बसर कर रहे हैं जिन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग द्वारा देय सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि पूर्णियाँ जिला में नगेसिया समुदाय को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के तहत सुख-सुविधा प्रदान की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कटिहार जिला के प्राणपुर एवं आजमनगर प्रखंड में आवासित नगेसिया समुदाय को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति द्वारा देय सुविधा कबतक प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन कराना

*937. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 विक्रम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा एल0पी0ए0 संख्या-1489/2011 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या-32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग का आदेश संख्या-934, दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का सरकारी सेवा में चतुर्थ वर्ग के पद पर समायोजन करने हेतु पारित आदेश के आलोक में श्री रमेश प्रसाद, पिता-श्री कमलनयन यादव, श्री रामप्रवेश सिंह, पिता-श्री रामेश्वर सिंह एवं सुनीता देवी, पिता-श्री राजकिशोर प्रसाद, भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का आजतक विभाग द्वारा समायोजन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*938. श्री कंदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत 2011 के पैनल सूची में अंकित समूह 'घ' चतुर्थवर्गीय (परिचारी) में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति पाँच वर्ष पूर्व में हुई थी परन्तु उसी पैनल सूची के कुछ अभ्यर्थी बचे हुए हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पैनल में बचे हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई प्रारम्भ करना

*939. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम विधान सभा अन्तर्गत धोडाह पंचायत के ग्राम-लेरूआं में उर्दू प्रा0 विद्यालय, लेरूआं भवसरकारन है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को पिछले 10 वर्षों से मध्य विद्यालय, लेरूआं में शिफ्ट किया गया है, जिससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्दू प्रा0 विद्यालय, लेरूआं में जमीन का अधिग्रहण कर विद्यालय का भवन बनाने के साथ पढ़ाई प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का संचालन

*940. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के पंचायत रतौली में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय उत्तर-पश्चिम टोला रतौली म0वि0, रतौली में शिफ्ट है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि म0वि0, रतौली की दूरी मूल विद्यालय से 3.5 किलो मीटर दूर है जहाँ बच्चे कोई सड़क पार कर पढ़ने जाते हैं ;
- (3) क्या यह बात सही है कि प्रा0वि0 उत्तर पश्चिम टोला रतौली में विद्यालय संचालन हेतु सभी सुविधा मौजूद है तथा भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कर दी गयी है ;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय उत्तर पश्चिम टोला रतौली का संचालन मूल विद्यालय में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*941. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरिया बरियारपुर, छौडाही एवं खोदाबन्तपुर प्रखंडों में से एक ही प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पदस्थापित है और बाकी प्रखंडों का भी प्रभार उन्हें ही दे दिया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि वर्णित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर लगातार सेविकाओं/सहायिकाओं द्वारा भ्रष्टाचार आदि का आरोप प्राप्त हो रहा है ;
- (3) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यालय के कार्यपालक सहायक के द्वारा ससमय सेविकाओं/सहायिकाओं का उपस्थिति विवरणी वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है ;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारी पर जांचकर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*942. श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि महिषी विधान सभा में अवस्थित मध्य विद्यालयों, उच्च माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वेंडरों के द्वारा आई0सी0टी0/कम्प्यूटर लैब अधिष्ठापित करवाया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में लगाया गया कम्प्यूटर लैब विभाग द्वारा तय मापदंड व गुणवत्ता के अनुसार नहीं आई0सी0टी0 इन्स्ट्रक्टर भी वेंडर के द्वारा योग्य नहीं रखा गया है जिससे सरकार का उद्देश्य जो कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति थी, वह पूरा नहीं हो पा रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक विद्यालयों में वेंडरों द्वारा अधिष्ठापित कम्प्यूटर लैबों की जाँच इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से कराकर दोषी वेंडरों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोशाक व साइकिल के लिये देय राशि बढ़ाना

*943. श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं को पोशाक व साइकिल की राशि वर्तमान महंगाई के अनुपात में काफी कम दी जा रही है, जिससे न पोशाक और न ही साइकिल का क्रय हो पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक समान स्वेटर, जैकेट एवं जूता नहीं रहने से विभिन्नता दिखती है एवं कुछ बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पोशाक व साइकिल के लिये देय राशि वर्तमान महंगाई दर के अनुपात में बढ़ाने का विचार रखती है, जिससे बच्चों को पोशाक के साथ स्वेटर व जूतों की भी आपूर्ति हो सके, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*944. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2023 के अंक में छपी खबर शीर्षक "13 महीने में चार बार बढ़ी 265 +2 स्कूलों की निर्माण लागत 183 करोड़ रुपये की अधिक निकासी" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार एजुकेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (वी०आई०डी०सी०) द्वारा वर्ष 2017 से 2018 के बीच 265 नये +2 विद्यालयों के निर्माण की लागत 13 महीने में चार बार बढ़ाई गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण लागत बढ़ने से 183 करोड़ 18 लाख रुपये की अधिक निकासी निर्माण एजेंसी और अभियंताओं की मिली-भगत से की गयी और इसकी सहमति उचित प्राधिकार से नहीं ली गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी राजस्व की क्षति एवं गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन एवं शेंड का निर्माण

*945. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कृथा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-चौहर के ग्राम-चकेया में महादलित परिवार के करीब 150 घर की आबादी होने के बावजूद वहाँ महादलित सामुदायिक भवन एवं शेंड नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ग्राम-चकेया में महादलित सामुदायिक भवन एवं शेंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चौहर के ग्राम-चकेया (चौहर चक) में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेंड निर्माण हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप आबादी एवं सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, प्रतिवेदित है।

अतः प्रश्नगत स्थल पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेंड का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

विद्यालय में कमरे और शौचालय का निर्माण

*946. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी(अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत फुलहार पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, फुलहार में +2 की पढ़ाई होती है, लेकिन कमरे के अभाव में प्रशाल भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में कबतक पर्याप्त कमरे और शौचालय के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*947. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड के झंडापुर पश्चिम पंचायत में उच्च विद्यालय, झंडापुर स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय में बेंच एवं डेस्क की कमी है एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय के अन्दर पशु इत्यादि घुस जाते हैं, साथ ही असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय में बेंच एवं डेस्क की कमी को दूर कराने तथा चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*948. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के नगर पंचायत रानीगंज के वार्ड नं० 4 में स्थित कलावती डिग्री कॉलेज, रानीगंज को छात्रावास निर्माण के लिये वर्ष 1980 में जिला परिषद, अररिया द्वारा 99 साल के लीज पर एक एकड़ जमीन दिया गया था परंतु अबतक छात्रावास का निर्माण नहीं किया गया है और जमीन यथावत खाली पड़ी है, जबकि बगल में स्थित आदर्श मध्य विद्यालय, हसनपुर को जमीन के अभाव में प्ले ग्राउंड नहीं है, जिससे छात्र खेलकूद नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, यदि तो क्या सरकार उक्त खाली जमीन को आदर्श मध्य विद्यालय, हसनपुर के छात्रों को खेलकूद के लिये उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*949. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अनुमंडल के जगदीशपुर प्रखंड में एक भी खेल का स्टेडियम नहीं है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को खेल-कूद में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जगदीशपुर प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण कराना

*950. श्री इजहारूल हसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के दुबानोची पंचायत में स्थित नया प्राथमिक विद्यालय (एन०पी०एस०) केला बाड़ी, पान बाड़ा, भवसरकारन है, जिसके कारण छात्रों को पेड़ एवं प्लास्टिक शीट के नीचे पढ़ाया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना

*951. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत छौड़ाही प्रखंड से आर०सी०एस० डिग्री कॉलेज, मंझौल की दूरी 30 किमी से अधिक है साथ ही अन्य डिग्री कॉलेज की दूरी भी अधिक होने के कारण यहां के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त छौड़ाही प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का भुगतान

*952. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा द्वारा संत बाबा संगीत संस्थान, पटना से महेन्द्र मिश्र महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष 2023 में कराया गया है परंतु उक्त कार्यक्रम का मानदेय भुगतान अभीतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बकाया मानदेय का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*953. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड में राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, खुशहालपुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मुस्तीगंज एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय तारापुर में विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है तथा विद्यालय के उत्क्रमित हुये दो वर्ष से अधिक हो गया है फिर भी उक्त उत्क्रमित विद्यालय का नया विद्यालय भवन अभीतक नहीं बनाया गया है जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में कबतक नया विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का भुगतान कराना

*954. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारविसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक 07/वेतन-21/2021(735), दिनांक 27 जुलाई, 2021 एवं पत्रांक 07/वेतन 21/2021 (845) दिनांक 28 जुलाई, 2022 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), अररिया को पंचायत शिक्षक नवीन कुमार एवं अन्य के वेतन का भुगतान का आदेश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित पत्र एवं CWJC 14697/2016 के न्यायादेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), अररिया द्वारा अभीतक पंचायत शिक्षक नवीन कुमार एवं अन्य के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक विभाग का आदेश नहीं मानने वाले संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का एवं नियोजित शिक्षक नवीन कुमार एवं अन्य के वेतन का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमण कराना

*955. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत चकिया प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय, टिकुलिया से हाई स्कूल की दूरी लगभग 4 से 5 किलो मीटर है एवं उक्त गांव के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूर जाना पड़ता है जिससे उन्हें कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास निर्माण कराना

*956. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिये छात्रावास नहीं होने के कारण गरीब बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में छात्रावास निर्माण के लिये सरकारी जमीन भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में एक अनुसूचित जाति एवं अनु० जन-जाति के छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिला के पूर्व से ही छात्रावास संचालित है ।

(2) बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड में राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध जिलाधिकारी, बक्सर से किया गया है, परन्तु अभीतक भूमि उपलब्धता नहीं हो पाई है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

नये रेट से लीज पर जमीन दिलाना

*957. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुडनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कुडनी प्रखंड के तुर्की में सरकारी बी०एड० कॉलेज की 100 (सैकड़ों) एकड़ जमीन बाजार मूल्य से कम दाम पर वर्षों पहले किसानों को लीज पर दिया गया, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार वर्तमान में उक्त जमीन को नये रेट से लीज पर देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेविका/सहायिका की नियुक्ति

*958. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के प्रखंड शेखपुरा के ग्राम-नीरपुर केन्द्र संख्या 74 एवं चेवाडा प्रखंड के ग्राम-लुटोत केन्द्र संख्या 56 सहित जिला में आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका का पद कई वर्षों से रिक्त है जिसके कारण आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों की पढ़ाई, गर्भवती महिला एवं धात्री महिला को काफी परेशानी के साथ प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार शेखपुरा जिला के प्रखंड शेखपुरा के ग्राम-नीरपुर केन्द्र संख्या 74 एवं प्रखंड चेवाडा के ग्राम-लुटोत केन्द्र संख्या 56 एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों पर रिक्त सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति शीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करते हुये गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना

*959. श्री शकील अहमद खॉं (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के +2 उत्कर्मित उच्च विद्यालय, कुरुम व +2 उत्कर्मित उच्च विद्यालय, कदवा में भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें कि प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुरूप कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्माण कार्य में श्रम संसाधन विभाग के निर्देशों का भी संवेदक व अभियंताओं द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त निर्माण कार्य में प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले संवेदक तथा अभियंता पर कार्रवाई करते हुये गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम को आधुनिक सुविधायुक्त बनाना

'घ'-*960. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में एक भी राज्यस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला स्कूल स्टेडियम, पूर्णियाँ में डे-नाइट क्रिकेट मैच खेलने के लिये फ्लड लाइट, पिच, कमन्टेटर बॉक्स, ड्रेसिंग रूम, शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ राज्यस्तरीय मैच के आयोजन में परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम को आधुनिक सुविधायुक्त बनाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महिला पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती करना

*961. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसाआ)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला में आई0सी0डी0एम0 कार्यक्रम अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर भर्ती हेतु श्रीमती फरहाना फातिमा, पिता-सैयद फजल मोहम्मद, ग्राम + पोस्ट छोटा शेखपुरा प्रखंड नरहट जिला नवादा सहित 11706 आवेदन वर्ष 2019 में प्राप्त हुये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि चार वर्ष के लम्बे अन्तराल के बावजूद रिक्त पदों पर अनुबंधीय भर्ती नहीं की गई है ;

नोट--'घ'-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से खेल विभाग में स्थानान्तरित ।

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक 1387, दिनांक 22 मार्च, 2023 के द्वारा माह के अन्दर भर्ती सम्पन्न करने का आदेश दिया था जिसका अबतक अनुपालन नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर महिला पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*962. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जाले विधान सभा क्षेत्र के जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अन्तर्गत अभीतक कोई स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जाले विधान सभा के उक्त दोनों प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण स्थानीय युवा अपने आपको हमेशा उपेक्षित समझता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा जिलान्तर्गत जाले विधान सभा के जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के क्रमशः जे0 एम0 उच्च विद्यालय, कमलौल एवं महंथ विशेश्वर दास महाविद्यालय, रामपुरा, सिंहवाड़ा में 200 मीटर ट्रेकयुक्त फूटबॉल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण कराना

*963. श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अन्तर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, टिकुलिया, वार्ड 14 एवं 15 में भवन नहीं होने से उक्त विद्यालय के बच्चों को पढ़ाई हेतु अन्यत्र दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*964. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड के पकड़तल्ला स्थित प्राथमिक विद्यालय, आमापुर कुलकुलिया भवन की कमी के कारण विद्यालय से सटे NH80 पर अवस्थित यात्री शेड में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि NH80 से सटे उक्त विद्यालय में भवन निर्माण हेतु पर्याप्त जमीन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी तथा मेन गेट का निर्माण

*965. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बगहा 1 प्रखंड के सिंघाडी पिपरिया पंचायत में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरदा में चहारदीवारी एवं मेन गेट के अभाव में असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का विद्यालय में जमावड़ा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी तथा मेन गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कमरों का निर्माण

*966. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टिकारी प्रखंड के मध्य विद्यालय, तेतारपुर एवं मध्य विद्यालय जलालपुर में करीब चार सौ छात्र एवं छात्राएँ दो कमरों में पठन-पाठन करते हैं, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात को देखते हुये दस अतिरिक्त कमरों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*967. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ महाविद्यालय, गजहरा के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दयाकांत झा का पेंशन, सेवान्त लाभ, अवकाश तालिका एवं पेंशन प्रपत्र पर दिलीप कुमार चौधरी के द्वारा फर्जी सचिव के रूप में सचिव का हस्ताक्षर तथा स्वयं दयाकांत झा ने खुद प्राचार्य का हस्ताक्षर किया है जिसका सत्यापन कुल सचिव के द्वारा करके दयाकांत झा को पेंशन दिया गया है जो नियमानुकूल नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इनके विरुद्ध शिकायत के आलोक में निदेशक, शिक्षा विभाग ने पत्रांक 4364, दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के द्वारा कुल सचिव के प्रतिवेदन की मांग की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्चतर पर जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा का अनावरण कराना

*968. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला अंतर्गत डुमरांव अनुमंडल परिसर में बक्सर लोक सभा के प्रथम सांसद, डुमरांव महाराज श्रीमान स्व० कमल सिंह जी की प्रतिमा 3 वर्ष पूर्व स्थापित करने के बावजूद अभीतक उस प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रतिमा का अनावरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान की घेराबंदी कराना

*969. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर उच्च विद्यालय के खेल मैदान की घेराबंदी नहीं होने के कारण वहाँ आवारा पशुओं एवं अवांछित तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे स्थानीय खिलाड़ियों, राहगीरों एवं आस-पास के लोगों सहित वहाँ अध्यनरत छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खेल मैदान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया राशि दिलाना

*970. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत ग्राम-भारती महाविद्यालय, रामगढ़ (कैमूर) में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से मार्च, 2019 तक सप्तम वेतनमान का अंतर बकाया राशि शिक्षकेतर कर्मियों को आजतक नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों को दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से मार्च, 2019 तक का सप्तम वेतनमान के अनुसार अंतर बकाया राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*971. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत बिक्रमगंज में मात्र एक ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति छात्रों के पठन-पाठन हेतु अम्बेडकर छात्रावास है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास में कुल 50 बेड ही हैं, जबकि अतिरिक्त जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त छात्रावास के परिसर में भवन का निर्माण कार्य कराते हुए 100 बेड मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*972. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखण्डान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय जमुरीडीह लगमा भवनहीन है, जिस कारण खुले आकाश के नीचे छात्रों द्वारा पठन-पाठन किया जाता है ;
- (2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*973. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद् के वार्ड सं० 8 में स्थित राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय अबतक भवसरकारन रहने के कारण उक्त विद्यालय को किसी अन्य विद्यालय में शिफ्ट कर पठन-पाठन किया जा रहा था ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के पुनः भवसरकारन रहने के बावजूद उसे मुल स्थान पर स्थानांतरित कर खुले आकाश के नीचे विद्यालय को संचालन किया जा रहा है, जिससे छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार छात्र-छात्राओं के हित में कबतक राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय नरकटियागंज वार्ड संख्या 8 का चहारदीवारी सहित भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*974. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के वार्ड नं०-41 (बसंतपुर) में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्ड की आबादी 1000 से अधिक है, जहाँ के बच्चों को दूसरे वार्ड में रोड पारकर जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को काफी कठिनाई होती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में जमीन अधिग्रहण कर प्राथमिक विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*975. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत घनरूआ प्रखंड स्थित खलीलु रहमान उच्च विद्यालय +2 नेतैल कादिरगंज का जमीन स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय का निर्माण

*976. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के रोहतास और शिवसागर प्रखण्ड में अंगीभूत महाविद्यालय नहीं हैं, जिसके चलते छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन के लिये अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्डों में अंगीभूत महाविद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*977. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली विधान सभा अन्तर्गत चनपुरा पंचायत के 10+2 विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उक्त विद्यालय में नामांकित 800 छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय 10+2 में भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*978. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के भुसुड़, उसरी समेत दर्जनों उत्कर्मित उच्च विद्यालयों में भवन के अभाव में छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि अरवल प्रखण्ड के डंगराहर, बाजितपुर, बारा समेत ज्यादातर प्राथमिक विद्यालयों का भवन जर्जर स्थिति में है जिससे हमेशा खतरा बना रहता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों का सर्वे कराकर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*979. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ मुख्यालय में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में लगभग दो हजार से ज्यादा छात्राएँ पठन-पाठन करती है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उच्च विद्यालय में चहारदीवारी नहीं रहने से विद्यालय की सुरक्षा में एवं छात्राओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की घेराबंदी के लिये चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समस्या से राहत दिलाना

*980. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के बनगाँव, चैनपुर, पड़री, बसौना सहित अन्य कई गाँवों में हजारों की संख्या में बन्दर है जिसके कारण इस क्षेत्र के हजारों एकड़ भूमि में लगी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*981. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखण्डान्तर्गत ग्राम-किरतपुर के प्राथमिक विद्यालय, किरतपुर का भवन जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है जिस कारण पठन-पाठन का कार्य भवन के बाहर प्रांगण में किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*982. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड बोचहाँ के उच्च विद्यालय उनसर और उच्च विद्यालय, सहिला हथौड़ी का भवन जर्जर है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय के विकास कोष एवं छात्र कोष में राशि पर्याप्त है, जिससे भवन निर्माण कराया जा सकता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के विकास कोष एवं छात्र कोष की राशि से प्रबंध समिति के निर्णय द्वारा विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियमित बैठक कराना

*983. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस, शेरघाटी एवं डोभी प्रखंड के सभी पंचायतों में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, उचिरमा, कचौड़ी, आमस एवं डोभी प्रखंड सहित 33 उच्च/उत्क्रमित उच्च विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, परन्तु दिसम्बर, 2023 तक अधिकतर विद्यालयों में प्रबंधकारिणी समिति की नियमित बैठक नहीं की गयी है जिसके कारण विद्यालयों के विकास एवं शैक्षणिक कार्य में काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार सभी विद्यालयों में नियमित बैठक कराने की दिशा में क्या कदम उठाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

ठहरने की व्यवस्था

*984. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा नगर परिषद् के वार्ड सं० 26 स्थित खैरा दरगाह में खास बाबा का मजार सैकड़ों वर्षों से धार्मिक सौहार्द का केन्द्र रहा है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि यहां सभी धर्म के श्रद्धालु आशीर्वाद लेने के लिये दूर-दूर से आते हैं और इनके लिये रात में यहां ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण काफी परेशानी होती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जन-मानस की आंकाक्षा के अनुरूप धार्मिक सौहार्द के लिये प्रसिद्ध खैरा दरगाह का रख-रखाव के साथ लोगों के रात्रि विश्राम के लिये परिसर में आवश्यक व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के भवन का निर्माण

*985. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड पताही के परसौनी कपुर पंचायत के ग्राम-रामपुर मनोरथ में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, रामपुर मनोरथ का जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्यालय भवसरकारन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्रों की जाँच

*986. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नबीनगर में पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा नबीनगर के दक्षिणी इलाका टंडवा, मंशुगिया आदि के केन्द्रों का अनुश्रवण नहीं किये जाने के कारण उस इलाके का अधिकांश केन्द्र बन्द रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त केन्द्रों की जांच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमित जमीन मुक्त कराना

*987. डॉ० सी०एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत विशेश्वर दयाल सिंह महिला कॉलेज, छपरा जो कृषि बाजार समिति के पास स्थित है जिसका 18 कट्टा 10 धूर जमीन असामाजिक तत्वों द्वारा 10 वर्षों से अतिक्रमित किया हुआ है एवं जिसके संबंध में जिलाधिकारी, सारण को वर्ष 2021 में पत्र देने के बावजूद अभीतक उक्त जमीन से असामाजिक तत्वों को नहीं हटाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महिला कॉलेज की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वनरक्षियों का स्थानांतरण

*988. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार में किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को एक स्थान पर तीन साल के बाद स्थानांतरण करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में श्री ओमप्रकाश, श्री अमीत कुमार, श्री रूपेश कुमार, श्री सुमित कुमार एवं श्री सोनु कुमार वनरक्षी विगत 4 वर्षों से एक स्थान पर पदस्थापित होने के कारण जैविक उद्यान में आये नवयुवक-युवतियों एवं दर्शकों पर गलत आचरण का आरोप लगाते हुये उन्हें पुलिसवर्दी का धौंस जमाकर अनैतिक रूप से धन राशि की उगाही कर रहे हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि विगत 6 माह पूर्व इस संदर्भ में कुछ दर्शकों द्वारा जैविक उद्यान कार्यालय में उनके उक्त आचरण की मौखिक शिकायत भी की गई किन्तु कार्यालय द्वारा उनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खंड (2) में उल्लिखित वनरक्षियों को स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंगिका के शिक्षकों की नियुक्ति कराना

*989. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मैथिली, भोजपुरी, मगही इत्यादि बिहार के लोक भाषाओं में बी०पी०एस०सी० द्वारा परीक्षा लेकर विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि बी०पी०एस०सी० द्वारा अंगिका लोक भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि विगत वर्ष 2022 में तिलका मांडी भागलपुर विश्वविद्यालय में अंगिका के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बी०पी०एस०सी० द्वारा अंगिका भाषी क्षेत्रों के विद्यालयों में अंगिका के शिक्षकों की नियुक्ति करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या-26/2023 एवं 27/2023 के माध्यम से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मैथिली, भोजपुरी, मगही, भाषा में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई है । अंगिका भाषा में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सामुदायिक भवन निर्माण

*990. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में राजापाकर प्रखंड अन्तर्गत भलुई पंचायत के अलीपुर गांव स्थित महादलित टोला में सामुदायिक भवन नहीं होने से गरीब महादलित परिवारों को सार्वजनिक एवं मांगलिक कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महादलित टोला में सामुदायिक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रीड़ा मैदान बनवाना

*991. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के बागेश्वरी स्थान के सामने लगभग 2 एकड़ का सरकारी जमीन खाली पड़ा है जिसपर क्रीड़ा मैदान बनाने से लाभ मिलेगा, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन पर क्रीड़ा मैदान बनवाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*992. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत हसपुरा प्रखंड के टाल पंचायत के उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौराही में मात्र 7 कमरों में 12 कक्षाएँ और दो नवसृजित प्राथमिक स्कूल के 500 से अधिक बच्चों का पठन-पाठन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चौराही मध्य विद्यालय को पहले उच्च विद्यालय में फिर बाद में प्लस-टू स्कूल में उत्कर्मित कर दिया गया, फिर इस भवन में नवसृजित विद्यालय, मंगर मठिया और नवसृजित विद्यालय, पंचायन को मर्ज कर दिया गया जबकि भवन की उपलब्धता एवं बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौराही में भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फीस कम करना

*993. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नई शिक्षा नीति, 2020 लागू होने से स्नातक में ली जानेवाली कुल फीस राज्य में 400 प्रतिशत से लेकर 600 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1976 की धारा 38 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी आर्डिनेंस का वित्तीय प्रभाव होगा तो यह तबतक लागू नहीं होगा जबतक कि राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त ना हो जाये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नई शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत बिहार के गरीब विद्यार्थियों पर पड़ने वाले अत्यधिक फीस के भार को, कम करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल घोषित करना

*994. श्री कंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के बरैपुरा में काली स्थान एवं बसहा स्थान में अवस्थित पुरातत्व टीले के काले पत्थर की अनेक प्रतिमाएँ एवं सूर्य मंदिर है परन्तु पर्यटन स्थल घोषित नहीं किये जाने से देश एवं विदेश से आने वाले पर्यटकों को असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समाहरणालय, बेगूसराय के पत्र संख्या 617, दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 द्वारा निदेशक, पुरातत्व निदेशालय, बिहार को प्रेषित पत्र के बावजूद विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने से पर्यटकों में निराशा है, साथ ही पर्यटन की दृष्टिकोण से राजस्व घाटा हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कराते हुये सारी सुविधायें बहाल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान राशि का भुगतान

*995. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सूर्यदेव साफी, पिता-श्री लालों साफी, ग्राम-सिराही, पोस्ट-छतौनी, पंचायत-कटैया, प्रखंड-बसोपट्टी, जिला-मधुबनी दिनांक 2 जनवरी, 2009 सेवक महर्धार के पद पर कार्यरत थे जिनका दिनांक 21 नवम्बर, 2021 को सेवाकाल में निधन हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मृतक के आश्रित पत्नी राम कुमारी देवी ने दिनांक 10 जनवरी, 2023 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधुबनी को आवेदन दिया परन्तु आजतक अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बासोपट्टी ने पत्रांक 9, दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता संभाग, मधुबनी को अनुग्रह राशि भुगतान हेतु प्रतिवेदित किया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान राशि का भुगतान

*996. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड निवासी स्वर्गीय मनोज कुमार, पिता-यमुना प्रसाद लाल, ग्राम + पोस्ट-मझौरा, थाना-सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे तथा दिनांक 9 जनवरी, 2022 को ड्यूटी से लौटते समय अज्ञात वाहन द्वारा उनके मोटर साइकिल संख्या BR06AB5862 के धक्के से उनकी मृत्यु हो गई थी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मनोज कुमार के आश्रित को सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के लिये मिलने वाली अनुदान राशि दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बसों का संचालन करना

*997. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज प्रखंडान्तर्गत मलाही बाजार से पटना से चलने वाली सरकारी बस लगभग 3-4 वर्षों से बंद है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार मलाही बाजार (अरेराज) से पटना के लिये सरकारी नियंत्रणाधीन बसों के संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्षा आदि का निर्माण

*998. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 विहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड के चोरहर पंचायत में उच्च विद्यालय, बगरी में बेंच एवं डेस्क की कमी के कारण विद्यार्थी को बैठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय में कक्षा के लिये कमरों की भी कमी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में आवश्यक बेंच एवं डेस्क तथा कक्षा के लिये कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कमरों का निर्माण

*999. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोंच प्रखंड के मध्य विद्यालय, बाली एवं मध्य विद्यालय, तुतुरखी में करीब चार-पाँच सौ छात्र-छात्राएँ पठन-पाठन मात्र दो कमरों में करते हैं जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में दस अतिरिक्त कमरों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षाफल प्रकाशित करना

*1000. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निदेशक, शिक्षा विभाग के पत्रांक 23, दिनांक 3 जनवरी, 2024 एवं पत्रांक 138, दिनांक 15 जनवरी, 2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 27/2023 (टी0आर0ई0 2) के द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक पदों पर होने के कारण और उनके योगदान नहीं देने के कारण हजारों रिक्तियाँ बची रह गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहेगी कि पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं करने का क्या औचित्य है ?

सड़क दुर्घटनाएं रोकना

*1001. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला सहित पूरे राज्य में प्रायः नीलगायों से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें कई लोग प्रायः घायल हो रहे हैं एवं कई लोगों की मृत्यु हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के एन0एच0 227ए पर माधोपुर में दिनांक 25 अक्टूबर, 2023, एस0एच0-96 पर सैदपुरा में दिनांक 19 नवम्बर, 2023 को एवं एन0एच0 331 पर सूर्यपुरा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को मोटर साइकिल व कार से नीलगायें टकरा गई जिसके कारण 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नीलगायों से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*1002. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल अन्तर्गत बिरौल प्रखण्ड के खोरगाछी में खेल मैदान है जो स्टेडियम बनने की सभी अर्हताएं पूरी करती है, यदि हाँ, तो कबतक उक्त खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1003. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अन्तर्गत चकपहाड़ पंचायत में प्राथमिक कन्या विद्यालय में 400 छात्रों का नामंकन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में छात्रों के अनुपात में भवन नहीं रहने के कारण छात्रों के पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक कन्या विद्यालय में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल के मैदान का निर्माण

*1004. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अंतर्गत महनार प्रखंड में अवस्थित बालक उच्च विद्यालय में खेल का मैदान नहीं होने से वहां के मेधावी छात्र-छात्रों को परेशानी होती है, जबकि उक्त परिसर में जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में खेल के मैदान का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1005. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 से अभी तक नालंदा, दरभंगा, मधुबनी जिला सहित राज्य के कुल 285 उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0 को आवंटित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निगम की उदासीनता के कारण निर्माण कार्य 30 प्रतिशत भी पूरा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन निर्माण शत-प्रतिशत पूरा कराने के लिए कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण

*1006. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अंतर्गत पंचायत-अलता में क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूलभूत सुविधा उपलब्ध करना

*1007. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय (आईसीडीएस) के तहत वर्तमान में 1 लाख 12 हजार 94 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिसमें 1.10 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र ही क्रियाशील है, जबकि संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में 99 लाख 23 हजार 915 लाभार्थी हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मूलभूत सुविधा यथा बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय सहित अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उक्त मूलभूत सुविधा उपलब्ध करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय (आईसीडीएस) के तहत वर्तमान में स्वीकृत 115009 आंगनबाड़ी केन्द्र के विरुद्ध 114973 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है जिसमें 1,02,27,673 लाभार्थी हैं ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के बैठने के लिए चटाई/दरी एवं अन्य सुविधा की व्यवस्था केन्द्र आकस्मिकता मद से की जाती है। 114718 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दरी दी गई है। वर्ष 2019 में 75608 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल एवं 58303 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में राज्य में कुल 102242 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की सुविधा एवं कुल 96251 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ।

(3) सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 31 जनवरी, 2024 को आहूत बैठक में शेष पेयजल की सुविधा विहीन 12723 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से एवं शेष शौचालय विहीन 15314 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय का निर्माण करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय के निर्माण एवं खराब शौचालयों की मरम्मत हेतु भारत सरकार से ईमेल (प्रति संलग्न) माध्यम से राशि की मांग की गई है ।

विद्यालय का निर्माण

*1008. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के बंदरा पंचायत के ग्राम-गोविंद बीघा में नवसृजित उर्दू प्राथमिक विद्यालय का भवन बनाने हेतु जमीन दाताओं द्वारा जमीन दिया जा रहा है, परंतु विभाग द्वारा यह कहकर भवन नहीं बनवाया जा रहा है, कि अभी वहां पर विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है और पैसे का भी अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-गोविंद बीघा में कबतक नवसृजित उर्दू प्राथमिक विद्यालय बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कचरे का प्रबंधन करना

"क"--*1009. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत मांझा प्रखण्ड के छवहीं एन०एच० 27 के किनारे शहर का कचरा एकत्रित हो जाने के कारण आमजनता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक एन०एच० 27 के उक्त स्थान पर कचरा जमा कराने पर रोक लगाने एवं कचरे का प्रबंधन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1010. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत उच्च विद्यालय, पखनाहा की चहारदीवारी का निर्माण कार्य वर्ष 2018 से अधूरा है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों एवं भवेशियों का विद्यालय परिसर में भ्रमण होते रहता है और छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है, यदि तो सरकार कबतक अर्द्धनिर्मित चहारदीवारी निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मियों का स्थायीकरण करना

*1011. डॉ० सी०एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत विशेश्वर दयाल सिंह कॉलेज, छपरा के प्राचार्य सहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी वर्ष 2018 से मानदेय पर नियुक्त हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को स्थायी करने हेतु वर्ष 2016 एवं 2017 में कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्राचार्य द्वारा आवेदन दिया गया है, लेकिन आजतक स्थायी नहीं होने के कारण उक्त कॉलेज के प्राचार्य एवं शिक्षक को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज के प्राचार्य सहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का स्थायीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट— "क"— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

स्टेडियम का निर्माण

*1012. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत बरियारपुर प्रखंड के बरियारपुर तथा सदर प्रखंड मुंगेर के नौवागढ़ी में खेल का मैदान नहीं है जबकि उक्त दोनों स्थानों पर सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों स्थानों पर स्टेडियम का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि एवं भवन की व्यवस्था

*1013. श्री अमरजीत कुशावाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत राजकीयकृत कन्या उच्च विद्यालय-सह-इन्टर कॉलेज, भैरवा जिले का एक मात्र कन्या विद्यालय है जिसका अपना भूमि एवं भवन नहीं है, यह विद्यालय, धर्मशाला के टीन शेट में वर्षों से संचालित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भूमि एवं भवन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1014. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षकों को सविदा पर रखने हेतु सर्कुलर (Letter नो०-9/विविध-25/2023/615, दिनांकित 21 अगस्त, 2023, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार) जारी की गयी है, जिसके अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने हेतु प्रति कक्षा शहरी क्षेत्र में 290 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में 250 रुपया देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय आदेश 2891, दिनांकित 01 सितम्बर, 2023 के आलोक में शिक्षकों को सविदा पर रखने वाली एजेंसी Calibehr कंपनी द्वारा मात्र 185 रुपया ही दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा में उक्त अनियमितता को रोकने हेतु विभागीय जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1015. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखण्ड के कोल्हासार पंचायत में न्यू प्राथमिक विद्यालय, काल्हाडिंडा भवनविहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि न्यू प्राथमिक विद्यालय, काल्हाडिंडा के भवन निर्माण हेतु काल्हाडिंडा में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बाद भी विद्यालय का अपना भवन नहीं होने से ग्रामीण के छात्र/छात्राओं को पढ़ने हेतु दूसरे गाँव के विद्यालय में जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव के विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वृद्धाश्रम का निर्माण कराना

*1016. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वृद्धाश्रम की सेवा एवं आवासन हेतु शहरों में वृद्धाश्रम बनाने का निर्णय सरकार द्वारा 07 वर्ष पूर्व लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के मांझा एवं बरौली में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होने से बुजुर्गों को परेशानी हो है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मांझा एवं बरौली में वृद्धाश्रम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1017. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबन जिलान्तर्गत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय, छतौनी, देव शंकर हलधर संस्कृत महाविद्यालय, चानपुर, उप शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय शाहपुर, बेगूसराय में वर्ष 2018 के बाद शिक्षक एवं कर्मियों को नियुक्ति राज्य सरकार की अनुमति के बगैर ही की गई है जो नियम के विरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उच्चस्तर पर जांच कराकर नियमाकुल कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालिका छात्रावास बनवाना

*1018. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके अच्छे कार्यों के लिये भारत रत्न सम्मान से मरणोपरान्त सम्मानित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की इस वर्ष सौवीं जयन्ती बिहार ने मनाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से प्रत्येक अनुमंडल में अतिपिछड़ा कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना

*1019. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत प्रखंड समस्तीपुर में अवस्थित श्री कृष्णा उच्च माध्यमिक विद्यालय, संत कबीर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रखंड ताजपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाघी में नामांकित छात्राओं की संख्या काफी अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन विद्यालयों में बुनियादी सुविधा तथा वर्ग कक्ष, बेंच-डेस्क आदि का बड़े पैमाने पर अभाव है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पठन-पाठन पर पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण कराना

"ग"-*1020. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड बोचहाँ की इकाई+2 राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालिका विद्यालय को किराये के भवन में नारायण एजुकेशन प्वाइंट नियर चाँदनी चौक, नारायण बिहार कॉलोनी काटी रोड, मुजफ्फरपुर में संचालित किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय का अपना कोई भवन नहीं रहने के कारण बालिकाओं को पठन-पाठन हेतु विद्यालय जाने के लिये काफी दूरी तय करनी पड़ती है जबकि मानक के अनुरूप स्थानीय बोचहाँ क्षेत्र में ही किराये का भवन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का नया भवन निर्माण या बोचहाँ में ही किराये का भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*1021. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अंतर्गत प्रखंडकोचाधामन में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अंतर्गत डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को उच्च गण हेतु काफी दूरी तय कर अन्य डिग्री कॉलेज में जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड कोचाधामन में सरकारी डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय बनाना

*1022. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम-हुसैना बिगहा में आजतक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में 500 जनसंख्या रहने के बावजूद भी प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने से यहाँ के बच्चे पठन-पाठन से वंचित है या कहीं दूसरे विद्यालय में पठन-पाठन करने जाते हैं जिससे बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय का यूनिट स्वीकृत करवाकर विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*1023. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड कोटवा में बड़हरवा कला पश्चिमी पंचायत के कल्याणपुर खास धोबी टोला महादलित बस्ती में महादलित विकास मिशन योजना के तहत सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कार्य कराने के लिये अंचलाधिकारी, कोटवा द्वारा विवाद रहित भूमि का का प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन एक वर्ष पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी, मोतिहारी पूर्वी चंपारण को भेजा जा चुका है, जिसका भूमि विवरणी धाना न० 186, खाता 68, खेसरा 211, रकबा 7 डी० भूमि की माप 60x50 वर्ग फीट है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित भूमि पर महादलित विकास मिशन योजना के तहत उक्त महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट-- "ग"-- समाज कल्याण विभाग से अनु०जाति एवं अनु०जन-जाति कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

दोषी पर कार्रवाई करना

*1024. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सौरबाजार प्रखंड के उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, धनछोहा में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम के द्वारा भवन निर्माण करवाया जा रहा है परंतु योजना से संबंधित कोई शिलापट्ट नहीं लगाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता के ईट, सीमेंट, सरिया सहित अन्य सामग्री का उपयोग किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्थानीय लोगों के विरोध एवं विभागीय अधिकारी को सूचना देने के बावजूद भी कार्य के गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया गया है तथा विभागीय अभियंता के मिलीभगत से निम्न गुणवत्ता का कार्य करवाया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना का उच्चस्तरीय जाँच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास निर्माण कराना

*1025. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के बच्चों के कल्याण हेतु छात्रावास निर्माण की योजना है, किन्तु छात्रावास का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1026. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "फुलवंती का शव आते ही ग्रामीणों में दिखा आक्रोश" के आलोक क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड अन्तर्गत दुर्गापुर गाँव में दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को उत्पाद विभाग द्वारा छापामारी में अपनी ढाई वर्षीय बीमार बेटे फुलवंती कुमारी का इलाज कराने जा रही बेटे बसंती देवी, पति-बिहारी मांझी को बिना कसूर गिरफ्तार कर बेटे सहित जेल भेज दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि ढाई वर्षीय फुलवंती कुमारी की जेल में तबीयत और खराब हो गई तथा पी0एम0सी0एच0 में इलाज करवाने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्पाद विभाग की टीम पर कार्रवाई करने तथा पीडित परिजन को नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय के नाम में परिवर्तन

*1027. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी0 वी0 उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, लहेरियासराय से 7 किलो मीटर की दूरी पर बहादुरपुर प्रखंड के वाजितपुर छिपलिया में अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में छात्रों के परीक्षा केन्द्र होने से अनेक छात्रों को परीक्षा केन्द्र खोजने में समय लगने से परीक्षा छूट जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी0 वी0 उच्च विद्यालय, लहेरियासराय का नाम बदलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी0 वी0 उच्च विद्यालय, बाजितपुर छीपलिया बहादुरपुर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा समिति से संबद्धता दिलाना

*1028. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्राणपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पथरवार पंचायत के अठारे गोपालपुर की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी तथा ग्रामीणों द्वारा विद्यालय हेतु 4 एकड़ 95.5 डिसिमिल भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित किया गया है, परंतु भवन की चहारदीवारी होने के बावजूद विद्यालय को आज तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता नहीं मिली है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक वर्णित विद्यालय को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना

*1029. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भारत की संविधान भारत रत्न डॉ0 भीम राव अम्बेदकर ने 1949 में बनाया जो 1950 में लागू किया गया, को स्कूल/कॉलेज के सिलेबस में रखकर नहीं पढ़ाया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब से उक्त संविधान को स्कूल और कॉलेजों के सिलेबस में रखकर पढ़ाई शुरू करने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*1030. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय, फुलवारीशरीफ और पुनपुन के ऑगनबाड़ी केंद्रों पर टी0एच0आर0 खाद्यान्न का वितरण विभाग के गाइड लाइन के अनुसार ऑगनबाड़ी केंद्रों के लाभुकों की बैठक बुलाकर खाद्यान्न का पैकेज तौलकर बनाकर लाभुकों में से किसी एक लाभुक को चुनकर वितरण कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खाद्य वितरण के समय महिला पर्यवेक्षिका परियोजना पदाधिकारी के उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है तथा वितरण की पंजी एवं लाभुक के हस्ताक्षर सहित संधारित करने का प्रावधान है किन्तु उक्त केंद्रों पर प्रावधानानुसार लाभुकों को लाभ नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक कमिटी गठित कर जाँचोपरान्त दोषी पदाधिकारी को दंडित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रदान करना

*1031. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा बस अड्डा का संचालन किया जाता था जो वर्तमान में जर्जर एवं जल-जमाव के कारण बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बस अड्डा का संचालन नहीं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बानाबर तक पहुँचने वाली बस सेवा को बंद कर दिया गया है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा तथा बिहार के विभिन्न जिलों में जाने वाली बस सेवा प्रभावित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरकारी बस अड्डा को पुनः संचालित करने एवं बस सेवा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*1032. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड कोटवा में कररिया बैगनी टोला एक महादलित बस्ती में है जिसकी आबादी 500 से अधिक है एवं अंचलाधिकारी, कोटवा द्वारा सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कार्य कराने के लिए 60X50 वर्ग फीट गैर-मजरुआ सावर्जनिक भूमि खाता नं0-397, खेसरा नं0-561, धाना नं0-188 को चिन्हित कर अपना प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण को एक वर्ष पूर्व दिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध वसूली पर रोक लगाना

*1033. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत सिंघियाघाट टैम्पू स्टैण्ड में ठहराव का दर सरकार द्वारा प्रति गाड़ी दो रुपये निर्धारित है, जबकि संवेदक द्वारा अवैध तरीके से वाहन चालकों से 50 रुपये प्रति गाड़ी से वसूली की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अवैध वसूली पर रोक लगाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना

*1034. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत लकड़ी नवीगंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण उक्त प्रखंड के छात्र-छात्राओं को डिग्री की पढ़ाई के लिए 30 कि0मी0 दूर महराजगंज अनुमंडल मुख्यालय या 50 कि0मी0 दूर सिवान जिला मुख्यालय जाना पड़ता है जिस कारण छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक लकड़ी नवीगंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना

*1035. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य में तेज रफतार वाहनों ने ली सर्वाधिक जान" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2023 में 10801 सड़क दुर्घटनाओं में 8898 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 7068 लोग घायल हुए जबकि वर्ष 2021 में 9553 दुर्घटनायें दर्ज की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 8898 मौतों में से 3926 मौतें राष्ट्रीय राजमार्ग और 2032 मौतें राजकीय राजमार्गों पर हुई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि एनसीआरबी के अनुसार 56 प्रतिशत दुर्घटनायें लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने तथा लोगों की मौतों को रोकथाम के लिये कौन-सी उपाय करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2023 में कुल 11027 सड़क दुर्घटनाओं में 8891 व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 6532 लोग घायल हुए हैं, जबकि वर्ष 2021 में 9553 दुर्घटनाएँ दर्ज की गयी थी।

प्रश्न में वर्ष 2023 में दर्शाये गये सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या वर्ष 2022 में घटित हुई है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सड़क दुर्घटना डाटा के अनुसार वर्ष 2022 में 8898 मृतकों में से 3953 सड़क दुर्घटना मृत्यु राष्ट्रीय राजमार्ग और 1997 सड़क दुर्घटना मृत्यु राजकीय राजमार्गों पर घटित हुई है।

(3) स्वीकारात्मक। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सड़क दुर्घटना डाटा के अनुसार वर्ष 2022 में 56 प्रतिशत दुर्घटनाएँ ओवर स्पीडिंग से वाहन चलाने के कारण घटित हुई है।

(4) सड़क दुर्घटना एवं उनके फलस्वरूप होने वाले मृतकों की संख्या को न्यून करने के उद्देश्य से बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् अपने पणधारी/हितधारी विभागों (Stakeholder Departments) एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है :-

- दक्ष चालक को चालन अनुज्ञप्ति निर्गत करने के उद्देश्य से एवं वाहन चालन दक्षता जाँच के लिये सभी जिलों में ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जाना।

- चालन दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य में कुल 74 ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना।

- गंभीर सड़क दुर्घटना एवं उनके फलस्वरूप होने वाले मृत्यु की संयुक्त जाँच की जाती है ताकि उनके कारणों का अध्ययन कर दुर्घटनाओं को न्यून करने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

- पुलिस एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से तथा उपकरणों के मदद से यातायात नियमों के उल्लंघनों की जाँच एवं उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया जाता है।

- पुलिस एवं परिवहन पदाधिकारियों के मदद से अभियान चलाकर हेल्मेट, सीट बेल्ट के उपयोग हेतु प्रेरित करना एवं अन्य उल्लंघनों के मामलों में उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना।

- इन्टरसेप्टर वाहन एवं उनमें लैस उपकरणों के माध्यम से हाईवे पेट्रोलिंग।

- यातायात उल्लंघनकर्ता को यातायात के नियम एवं सड़क सुरक्षा विषय पर चालक पुनश्चर्चा प्रशिक्षण देना।

- सर्वाधिक दुर्घटना प्रवण वाले सड़क संभाग/ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण एवं संबंधित सड़क विभाग एवं प्राधिकरण के माध्यम से परिमार्जन।

- सड़कों के सीध स्थल एवं दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार एवं मानकों के आधार पर यातायात सुगमता के उपाय यथा साइनेज, स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रीप्स आदि का अधिष्ठापन करना।

- अखबार, रेडियो जिंगल्स, होर्डिंग्स एवं पाठ्य-पुस्तक के माध्यम से आमजनों को यातायात एवं सड़क सुरक्षा के विषय में जागरूक करना।

- स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ट्रैमा केयर सेंटर के साथ-साथ त्वरित कार्रवाई हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था।

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद एवं उन्हें अस्पताल पहुँचाने हेतु लोगों को गुड सेमेरिटन (अच्छे मददगार) बनने हेतु प्रेरित करना एवं उन्हें चिन्हित कर रुपया 10,000 (दस हजार) तक की राशि से प्रोत्साहित करना।

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1036. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दावथ प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, सेमरी के अंदर एवं बाहर पूरे विद्यालय में अतिक्रमणकारियों के कब्जा से मुक्त कराने के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा सरकार से बार-बार गुहार लगाया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार रोहतास जिला के दावथ प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, सेमरी को कबतक पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के भवन का निर्माण

*1037. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड पताही के पंचायत सरैया गोपाल में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, महावीर टोला का जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्यालय भवसरकारन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कराना

*1038. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बगहा नगर परिषद् के वार्ड संख्या 14 से वार्ड संख्या 35 में आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्डों में आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन नहीं होने से भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं यथा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री मातृत्व बंदन योजना 3/6 साल के बच्चों को कुपोषण से दूर करने हेतु पोषाहार योजना, केन्द्र संचालित 0-6 साल के बच्चों का टीकाकरण योजना, स्कूल पूर्व शिक्षा योजना का लाभ इस पोषक क्षेत्र के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों में आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1039. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत नरकटियागंज प्रखंड के लक्षनौता पंचायत के लक्षनौता गाँव में आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 152 का अपना भवन नहीं है, जिससे उक्त केन्द्र किराये के सुविधा भवन में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 152 का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आंतरिक सड़क का निर्माण

*1040. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के नगर पंचायत, रानीगंज के वार्ड नं०12 में स्थित कलावती कन्या उच्च विद्यालय, रानीगंज में आने के लिये विद्यालय का मुख्य रास्ता एस०एच० 77 होकर गुजरता है, जिससे छात्राओं को विद्यालय पहुँचने में हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है जबकि विद्यालय भवन के दक्षिण भाग में पश्चिम सड़क से पूरब की ओर जाने के लिये 20 फीट जमीन खाली पड़ी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 20 फीट खाली जमीन में आंतरिक रास्ता बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के भवन का निर्माण

*1041. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के सदर प्रखंड अन्तर्गत मिर्जापुर बरदह पंचायत स्थित

उत्कर्मित उच्च विद्यालय, मिर्जापुर, बरदह में शिक्षक वर्ग की कमी के कारण बच्चों को बरामदा में जमीन पर बैठना पड़ता है और जो भवन है वह भी जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करना

*1042. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत प्रखण्ड काराकाट के माथा स्थित बालिका मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्कर्मित किया गया है जिसमें विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण छात्राएँ शिक्षा से वंचित रह जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय, मोथा में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्खनन बंद कराना

*1043. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत खुदुक्पार एवं महसौना पंचायत के क्रमशः घोषी कुंडी एवं महसौना, खैरी तथा झिनौरा सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में पुरातत्व क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र के अंतर्गत घोषी कुंडी गाँव में वर्ष 2016 अभियंत्रण महाविद्यालय भवन के लिये जमीन चयन के बाद पुरातत्व क्षेत्र कहकर वहाँ से कॉलेज भवन बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि खान एवं भूतत्व विभाग उसी क्षेत्र में खैरी, महसौना एवं झिनौरा बालू घाटों का टेंडर दिया गया है जो क्षेत्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रतिबंधित क्षेत्र में बालू उत्खनन बंद कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*1044. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक खेल मैदान बनाने का प्रावधान होने के बावजूद रोहतास जिला अन्तर्गत रोहतास, चेनारी, सासाराम, कोचस, राजपुर एवं नासरीगंज प्रखंड में खेल मैदान का निर्माण नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्डों में खेल मैदान का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*1045. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, दहिया में शिक्षा विभाग के द्वारा विगत 10 वर्षों से, जो विद्यालय भवन बनाया जा रहा था, वह अभीतक अधूरा है जिससे बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधूरे भवन को पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृद्धि के साथ मासिक वेतन का भुगतान करना

*1046. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखंड संसाधन केन्द्रों में पदस्थापित कुछेक सहायक लेखापाल-सह-डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं आदेशपाल-सह-रात्रि प्रहरी का Base Wage में 3% वृद्धि वर्ष 2014-2015 से कर बकाया (एरियर) दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक के ज्ञापांक-MGT/PAR/61/2017/6336, दिनांक 27 जुलाई, 2017 के आदेश के बावजूद भी उक्त कर्मियों को Base Wage में वृद्धि करने के संबंध में उच्च पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगी की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बकाया राशि के भुगतान के बावजूद भी मासिक वेतन बिना वृद्धि के ही दिया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सहायक लेखापाल-सह-डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं आदेशपाल-सह-रात्रि प्रहरी का Base Wage में 3% की वृद्धि के साथ मासिक वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1047. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड में स्थित दामलबाड़ी उत्कर्मित उच्च विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने के कारण बाहरी लोगों द्वारा विद्यालय प्रांगण एवं खेल मैदान का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे पठन-पाठन के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*1048. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हीला प्रखंड के मदारगंज पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, अदलपुर पोखर के किनारे अवस्थित है एवं विद्यालय परिसर की घेराबंदी नहीं होने के कारण छात्रों में भय की स्थिति बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में छात्रों के बैठने हेतु बेंच-डेस्क नहीं है एवं कमरों की कमी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय परिसर की घेराबंदी करने एवं बेंच-डेस्क सहित अतिरिक्त कमरों के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*1049. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम पंचायत डिहुरी के ग्राम-भैया बिगहा में +2 पुनित उच्च विद्यालय में खेल स्टेडियम नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को खेलने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त +2 पुनित उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कराने का कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई करना

*1050. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के महीरा प्रखंड अन्तर्गत लगभग 300 से ऊपर आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है परन्तु अधिकांश सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं और टी०एच०आर० भी नियमानुकूल वितरित नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सलिमापुर पंचायत के वार्ड नं० 4 के केन्द्र संख्या 25 की सेविका से महीरा प्रखंड की सी०डी०पी०ओ० आंगनबाड़ी केन्द्रों से अवैध वसूली करवाती है जिसके कारण पर्यवेक्षिकाओं और सेविकाओं में काफी असंतोष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वाई-फाई की सुविधा

*1051. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर एवं परसा स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा नहीं है जबकि सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में वाई-फाई लगाने हेतु नियम भी बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1052. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत कसमर पंचायत स्थित उत्कृष्ट मध्य विद्यालय, छितरचक, गंगा पार एवं दिधवारा प्रखंडान्तर्गत हराजी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय, पकवलिया का भवन जर्जर है जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालय के जर्जर भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा निर्माण कराना

*1053. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--स्थानीय दैनिक अखबार में दिनांक 3 फरवरी, 2024 को शीर्षक "पहले से चल रहे दो स्कूल, अब तीसरे के बच्चे भी पढ़ेंगे" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना के दीघा स्थित मध्य विद्यालय के भवन में मात्र छः रूम हैं और इस भवन में दो स्कूलों की कक्षाएँ चल रही हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह स्थिति अरवल जिला के जनकपुर डोम टोली, भुसड़ा समेत दर्जनों विद्यालय की स्थिति यही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्कूलों के लिये पर्याप्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का जीर्णोद्धार कराना

*1054. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिमसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के नहट प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-मिल्की में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन क्षतिग्रस्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुरक्षा हेतु ठोस उपाय कराना

*1055. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, मटुआ गाँव के गहरे पोखर के भिण्डे पर बने कमरों में संचालित होता है जिससे विद्यालय के भवन को क्षति पहुँच सकती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन की सुरक्षा के लिये ठोस उपाय कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1056. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के जिला मुख्यालय में सभी सुविधाओं से युक्त इनडोर स्टेडियम नहीं है, जिससे उदियमान खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय अभ्यास एवं खेल का आयोजन नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी सुविधाओं से युक्त जिला मुख्यालय में इनडोर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सक्षमता परीक्षा से छूट दिलाना

*1057. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रारंभिक, मध्य विद्यालयों में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षक विभिन्न वर्षों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं ;
- (2) क्या यह बात सही है कि दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को पुनः बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना बाध्यकारी बना दिया गया है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से छूट प्रदान करने एवं उनकी सेवा 60 वर्ष तक बनाये रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1058. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत अन्तर्गत जय गोविंद सिंह उच्च विद्यालय के मैदान में स्टेडियम निर्माण का कार्य वर्ष 2018 में भवन निर्माण विभाग द्वारा आरंभ किया गया किन्तु आजतक स्टेडियम का निर्माण कार्य संवेदक एवं अधिकारियों की शिथिलता के कारण पूर्ण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा शुरू करना

*1059. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौड़ी (अ0जा0))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना से बैरिया, गौरीचक, पधेड़ी मोड़, धनरूआ होते हुये मसौड़ी के रास्ते में एक भी परिवहन विभाग द्वारा सरकारी बस का परिचालन नहीं किया गया है, जिससे आमजनों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रास्ते से सरकारी बस सेवा प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इंडोर स्टेडियम का छत निर्माण कराना

*1060. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत इंडोर स्टेडियम की छत जर्जर है एवं बारिश होने पर इंडोर स्टेडियम परिसर में पानी जमा हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इंडोर स्टेडियम की छत का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*1061. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सोमेश्वरनाथ संस्कृत उच्च विद्यालय, अरेराज के तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा 27 दिसम्बर, 2023 को स्वयं विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष घोषित कर बिना विज्ञापन एवं साक्षात्कार परीक्षा के अपने पुत्र, पुत्रबधु सहित छः नियुक्तियों की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री आनन्द कुमार व अन्य के आवेदन पर एस0डी0ओ0, अरेराज द्वारा घरीयता सूची का उल्लंघन कर बनाई गई प्रबंध समिति एवं विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नियुक्ति नियमावली का अनुपालन न कर की गई अवैध नियुक्तियों की जाँच का निर्देश दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोमेश्वरनाथ संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति द्वारा बिना प्रक्रिया अपनाये की गई नियुक्तियों की जाँच कराकर दोषी को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राचीन अवशेषों का संरक्षण

*1062. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अंचल पटना के द्वारा 2 एवं 3 मार्च, 2008 को मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमंडल स्थित कतिपय प्राचीन एवं पौराणिक स्थलों का सर्वेक्षण कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सर्वेक्षण दल में शामिल पुरातत्वविद् एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न स्थानों में कराई गई खुदाई से प्राप्त प्राचीन सभ्यता के अवशेष की तस्वीरें ऐतिहासिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सर्वेक्षित स्थानों से मिले प्राचीन सभ्यता के अवशेष आदि का संरक्षण कराना चाहती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का तबादला

*1063. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जिला संवर्ग के 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों (सामान्य एवं उर्दू नियमित शिक्षकों) का अन्तर जिला स्थानांतरण हेतु जनवरी, 2023 में ही शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों से आवेदन एवं जिला का विकल्प लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि मार्च, 2023 में ही अन्तर जिला तबादला कर देना था लेकिन अबतक तबादला नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 34540 कोटि के नियमित शिक्षकों का अंतर जिला तबादला करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन एवं शोड निर्माण

*1064. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि करपी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत मुरारी के ग्राम-आजादनगर में महादलित परिवार की संख्या करीब 350 घर की है इसके बावजूद भी वहां महादलित सामुदायिक भवन एवं शोड नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ग्राम-आजादनगर में महादलित सामुदायिक भवन एवं शोड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रनिंग ट्रैक का निर्माण

*1065. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड शेरघाटी में रंगलाल उच्च विद्यालय का खेल परिसर हेतु बड़ा खेल का मैदान है जिसमें अनुमंडलीय स्तर की खेल प्रतियोगिता यथा फुटबॉल, क्रिकेट और इंडोर खेल का आयोजन किया जाता है, उक्त मैदान में धावकों हेतु रनिंग ट्रैक नहीं रहने से धावकों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खेल के मैदान में उच्चस्तरीय 400 मीटर का रनिंग ट्रैक का निर्माण कराने का विचार करती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडेल विद्यालय बनाना

*1066. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तरैया, इसुआपुर एवं पानापुर प्रखंड के 37 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से एक भी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मॉडेल विद्यालय के रूप में स्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तरैया प्रखण्ड के मैकडोनाल्ड उच्च विद्यालय, देवरिया में छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 3600 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तरैया प्रखंड के उक्त विद्यालय को मॉडेल विद्यालय के रूप में स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

+2 विद्यालय में उत्क्रमण

*1067. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड के बैरियाडीह पंचायत स्थित रा०म० विद्यालय, बैरियाडीह में विद्यार्थियों की संख्या 500 सौ के लगभग है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को 10+2 में उत्क्रमित नहीं किये जाने से वहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये आठ कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है क्योंकि बैरियाडीह धनौती नदी से तीन तरफ से घिरी हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को 10+2 में उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1068. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के इटाही प्रखंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिये छात्रावास नहीं होने के कारण गरीब बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में छात्रावास निर्माण के लिये सरकारी जमीन भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में एक अनुसूचित जाति एवं अनु० जन-जाति के छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिला में पूर्व से ही छात्रावास संचालित है ।

(2) बक्सर जिला के इटाही प्रखंड में राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, बक्सर से किया गया है, परंतु अभीतक भूमि उपलब्धता नहीं हो पायी है ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

स्टेडियम का निर्माण

*1069. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र में एक भी इंडोर स्टेडियम नहीं रहने के कारण जिले के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने में तथा जिला स्तर पर खेल में संबंधित आयोजन करने से वंचित रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर निगम क्षेत्र में खिलाड़ियों के हित में इण्डोर स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल उपकरण उपलब्ध कराना

*1070. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरूआ एवं गुरारू प्रखण्ड के सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में खेल मैदान है, परन्तु छात्र/छात्राओं को खेलने हेतु उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण विद्यालय के छात्र/छात्राओं को खेलने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में खेल उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मान्यता प्रदान कराना

*1071. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के किरकिचिया पंचायत अवस्थित (BDBKSC) देवराहा बाबा कॉलेज में पूर्व में स्नातक डिग्री की पढ़ाई होती थी, जो अब बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज में 07.25 एकड़ जमीन एवं भवन की समुचित व्यवस्था रहने के बावजूद स्नातक डिग्री की पढ़ाई न होकर केवल इंटर की पढ़ाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज को डिग्री कॉलेज की मान्यता प्रदान कर पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1072. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखण्ड अन्तर्गत गौराचक पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौराचक जिसमें नामांकित छात्र एवं छात्राओं की संख्या 920 है, में विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में आधारभूत संरचना बहाल करते हुये भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 27 फरवरी, 2024 (ई०)।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।



सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 08 फाल्गुन, 1945 (श०)
27 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-01

(1) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 01
कुल योग 01

क्रियान्वयन करना

“अ” *610 श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर) क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वानिकी विश्वविद्यालय, मुंगेर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले साल किया गया था जिसके उद्घाटन के एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिससे जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विश्वविद्यालय का क्रियान्वयन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

नोट:- 'अ' दिनांक-22.02.2024 को सदन द्वारा कृषि विभाग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित ।

पटना :
दिनांक-27 फरवरी, 2024 (ई०) ।

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा ।